राजस्थान सरकार

उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

कमांकःप21(17)नि.उ. / रा.बा.मि. / सीए ऑडिट / 2019–20 / 4510-4559 दिनांक 03.10.2019

CA. ऑडिट सिमित बोली

उद्यान विभाग द्वारा संचालित / क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं राष्ट्रीय बागवानी मिशन (MIDH –मिशन फॉर इन्टिग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ हॉर्टीकल्चर) एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना (PMKSY–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) की राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम एजेन्सीज क्रमशः राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी एवं जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटीज द्वारा वर्ष 2018–19 में इन योजनाओं के तहत् क्रियान्वित किये गये विभिन्न कार्यक्रमों पर हुये व्यय की ऑडिट करवाये जाने हेतु निर्धारित योग्यताधारी चार्टेड एकाउन्टेटस जिनको राजकीय कार्यालयो, संस्थाओं / योजनाओं की ऑडिट का 2 वर्ष का अनुभव हो निम्न विवरण अनुसार प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

1. उक्त कार्य की अनुमानित राशि रूपये 1.00 लाख है।
2. योजनाओं पर वर्ष 2018–19 में राशि 9278.66 लाख रूपये केन्द्रीयांश का व्यय हुआ है।
3. संपूर्ण निविदा दस्तावेज वेबसाईट SPP Portal पर डाउनलोड किये जाने हेतु प्रकाशित कर दिया गया है।
4. निविदाता अपने योग्यता (कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र) व वित्तिय प्रस्ताव, पंजीकरण, Tax बकाया नही होने का प्रमाण पत्र, जीएसटी एंव पेन नंबर आदि सहित मिशन निदेशक, उद्यान निदेशालय जयपुर को सीलबंद लिफाफे में व्यक्तिशः डाक द्वारा दिनांक 14.10.2019 को दोपहर 01.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त प्रस्ताव उसी दिन 3.00 पी.एम पर खोले जावेगे।
5. वित्तीय प्रस्ताव के न्यूनतम दर वाले योग्य ऑडिटर्स को कार्यादेश जारी किये जाने के अधिकतम 45 दिवस में सभी योजनाओं की जिला व राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेन्सी की पृथक–पृथक विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आवश्यकता होने पर उक्त कार्य नियमानुसार आगामी वर्षो के लिये बढाया जा सकेगा।
6. ऑडिट रिपोर्ट में निम्न कार्य संपादित करने होगे–
   - (1) निर्धारित प्रपत्र में कम्पोनेट वाईज व्यय
   - (2) ऑडिटेड तक व्यय यूटीलाईजेशन प्रमाण पत्र
   - (3) विभिन्न योजनाओं के बजट की प्राप्तियां
   - (4) अलग–अलग योजनाओं में ओपनिंग व क्लोजिंग बैलेन्स
   - (5) क्रियान्वयन एजेन्सीज के बैंक खातों में जमाओं पर प्राप्त ब्याज
   - (6) अन्य किसी योजनाओं के बजट हस्तान्तरण, यदि कोई दिया गया
   - (7) ट्रायल बैलेंस
   - (8) प्रत्येक क्रियान्वयन ऐजेन्सी का बैलेंस शीट
   - (9) राजस्थान हार्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी की Over all बैलेंस शीट
   - (10) राजस्थान हार्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी का Over all उपयोगिता प्रमाण पत्र
   - (11) समस्त अधिनस्थ कार्यालयों के मदवार संकलित वार्षिक लेखे तैयार कर प्रस्तुत किये जायेगे।
7. ऑडिटर अपनी विशेषज्ञ ऑडिटर्स योजनावार निम्न जिलों में व्यक्तिशः भेजे जाकर ऑडिट कार्य संपादित करवाना होगा –जिसके लिये पृथक से कोई राशि देय नही होगी।
   - (1) राष्ट्रीय बागवानी मिशन–जयपुर, अजमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, जालौर, बाडमेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, गंगानगर, झुन्झुनू,

अलवर, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, बून्दी, कोटा, बारां, झालावाड, (24 जिलें) व मुख्यालय

(2) सूक्ष्म सिंचाई योजना सभी 33 जिले व मुख्यालय

8. ऑडिटर्स को मिशन निदेशक द्वारा अवगत करायी गयी प्राथमिकता के अनुसार योजनाओं का ऑडिट कार्य संपादित करना होगा।

9. ऑडिटर को संपूर्ण लेखों का मिलान सुनिश्चित करना होगा।

10. संतोषप्रद ऑडिट कार्य पूर्ण करने पर निर्धारित दरों पर भुगतान कार्यवाही की जायेगी।

11. कार्य परिणाम एवं गत वर्षो के अंकेक्षण संबंधित विवरण कार्यालय समय 9.30 से 6.00 PM में देखे जा सकते है।

12. कार्यादेश जारी होने के 45 दिवस में संतोषजनक कार्य पूर्ण नहीं करने पर GF&AR , RTPPA 2012 व RTPPR 2013 में वर्णित प्रावधानानुसार राशि की कटौती की जावेगी।

13. प्रस्तुत दरें करों (Taxes) को शामिल किये बिना होगी, नियमानुसार कर (Tax) अतिरिक्त देय होगा ।

आयुक्त उद्यानिकी
राजस्थान, जयपुर

कमांकःप21(17)नि.उ./रा.बा.मि./सीए ऑडिट/2019–20/4510-4559 दिनांक 03-10-2019

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है।

1. उप निदेशक उद्यान (सांख्यिकी) उद्यान निदेशालय, जयपुर को SPP Portal पर प्रकाशन हेतु।
2. संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस/विस्तार)
3. .... चार्टेड एकाउन्टेन्ट
4. कार्यालय प्रति।

आयुक्त उद्यानिकी
राजस्थान, जयपुर